12.6.24 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे वकील प्रार्थी द्वारा संशोधित अनवान पेश किया जाकर बहस सुनाये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी वकील के निवेदन को स्वीकार करते हुए प्रा.पत्र अ.धा. 128 LRA पर वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस पुनः सुनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में इस प्रकार से निवेदन किया है कि दिनांक 5.4.23 को न्यायालय श्रीमान पत्थरगढी किया जाने का आदेश किया गया था। किन्तु आ.सं. 69 70, [illegible] के प्रार्थीया प्रेम बाई द्वारा विक्रय किया जा चुका है। एवं आ.सं. 71 मे हिस्सा होने से संशोधित अनवान के अनुसार पत्थरगढी आदेश पुनः जारी किया जाकर पत्थरगढी जावे। प्रार्थी की बहस सुनी जाकर स्वीकार किजाते है।

प्रा.पत्र अ.खा. 1284 RA में पुनः पत्थरगढ़ी आदेश जारी किया जावे। प्रार्थीगण के संशोधित अनवान के अनुसार मौजा बाग वाकुली खेड़ी प.ह. गोविन्दपुरा की आ.सं. 69, 70, व 71 कुल किता-3 कुल रकबा- 0.332 है भूमि कि पत्थर गढ़ी कि जाने हेतु तहसीलदार बेगू को 1000 रु कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि उक्त अराजी की प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थर गढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है आदेश की पालना में पत्र जारी हो। पत्रावली मिसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Vy2